न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एकट, जौनपुर ।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–22/2025

हृदय नारायण दूबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

UPJP010004432025

Presented on : 18-01-2025
Registered on : 18-01-2025
Decided on : 24-03-2026
Duration : 1 years, 2 months, 6 days

दिनांक–24.03.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत की गयी। आवेदक हृदय नारायण दूबे की ओर से प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मुकदमा संख्या–228/2020 राज्य बनाम मंगला प्रसाद दूबे के प्रकरण में न्यायालय प्र0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, जौनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.01.2021 के विरूद्व दिनांक 18.01.2025 को पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त निगरानी हम निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांक–27.01.2021 ई0 के विरुद्ध दाखिल किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा माननीय अवर न्यायालय ने मु०सं०–228/2020 स्टेट प्रति मंगला प्रसाद दूबे अन्तर्गत धारा–147,148, 149, 307, 336, 504, 506, 325, 323 भा0दं0सं0 थाना केराकत में घटना में प्रयोग में लाई गई बंदूक जो घटना के दिन ही थाने द्वारा जब्त कर लिया गया था, को रिलीज कर दिया। उक्त रिलीज आदेश की जानकारी हम निगरानीकर्ता को कत्तई नहीं हो सकी। क्योंकि हम निगरानीकर्ता घटना में घायल रहा एवं न तो कोई सूचना बंदूक की रिलीज के बावत हम निगरानीकर्ता को दिया गया। दिनांक–20.12.2024 ई० को उपरोक्त बंदूक मंगला प्रसाद दूबे हम प्रार्थी के घर के आस पास लेकर प्रार्थी को धमकाने की नियत से अवैध प्रदर्शन किया तब हम प्रार्थी ने न्यायालय आकर पत्रावली में दिनांक–23.12.2024 ई० को मुआयना अपने अधिवक्ता के माध्यम से कराया तो आक्षेपित आदेश की जानकारी हुयी। तत्काल हम प्रार्थी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित–27.01.2021 ई0 की सत्यप्रति लिपि हेतु आवेदन करके प्रतिलिपि प्राप्त कर निगरानी उपरोक्त दाखिल कर रहा है। हम प्रार्थी द्वारा निगरानी दाखिल करने को कोई जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है एवं विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी को कानून मियाद अधिनियम की दफा–5 का फायदा प्रदान किया जाना न्यायहित में जरूरी है। हम प्रार्थी को दफा–5 कानून मियाद का फायदा प्रदान करके निगरानी उपरोक्त अंगीकृत कर स्वीकार करने की याचना की गयी।

3. प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.01.2021 के विरूद्व दिनांक 18.01.2025 को तत्कालीन श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत निगरानी कालबाधित होने के कारण दिनांक 18.01.2025 को देरी माफी प्रार्थना पत्र 4ख फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया। तत्कालीन श्रीमान् जनपद न्यायाधीश जौनपुर के आदेशानुसार विधि अनुसार निस्तारण हेतु दिनांक 21.04.2025 को

Digitally signed by
ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.24
16:23:08 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court,
Jaunpur

वर्तमान न्यायालय में अंतरित की गयी। दिनांक 25.04.2025 को पत्रावली वर्तमान न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा निगरानी में अपनी आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि प्रकीर्ण फौजदारी कालबाधित है, स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रकीर्ण फौजदारी में कथित देरी का कोई स्पष्टीकरण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकीर्ण फौजदारी जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रकीर्ण फौजदारी में निगरानीकर्त्री की निगरानी में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रकीर्ण फौजदारी निगरानी में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है, निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि कालबाधित निगरानीध्प्रकीर्ण फौजदारी निरस्त करने की कृपा करें।

5. निगरानीकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि मु0अ0सं0 228/2020 की घटना में प्रयोग में लायी गयी बंदूक, जिसे घटना के दिन थाने द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अवमुक्त कर दिया गया है। दिनांक 20.12.2024 को मंगला प्रसाद दूबे द्वारा प्रार्थी धमकाने की नियत से उपरोक्त बंदूक का अवैध प्रदर्शन किया गया, प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23.12.2024 को पत्रावली का मुआयना कराने पर आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.01.2021 की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया। विलम्ब को क्षमा किये जाने एवं धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षी की ओर से तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में एफ0टी0सी0, द्वितीय, जौनपुर के न्यायालय में विचारण चल रहा है। निगरानीकर्ता अपने पुत्र के साथ गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर रहा है, जिस सम्बन्ध में जिरह में प्रश्न भी किया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता का एक मात्र उद्देश्य ऐन–केन प्रकारेण विपक्षी का लाइसेंस रद्द करवाना है। दोनों सगे भाई है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता कई बार लाइसेंसी बंदूक के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को बंदूक अवमुक्त होने के सम्बन्ध में पूरी जानकारी है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता का उद्देश्य मात्र विपक्षी को परेशान करना रहा है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

7. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनांक 27.01.2021 का है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी दिनांक 18.01.2025 को दाखिल की गयी है। निगरानी विलम्ब से दाखिल करने के सम्बन्ध में प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से आधार लिया गया है कि दिनांक 20.01.2024 को जब विपक्षी संख्या 2 मंगला प्रसाद दूबे द्वारा बंदूक को लेकर निगरानीकर्ता के घर के आस पास प्रदर्शन किया गया तो निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली का मुआयना कराया गया तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.01.2021 की जानकारी निगरानीकर्ता को दिनांक 23.12.2024 को हुई, जिस कारण फौजदारी निगरानी दाखिल करने में विलम्ब हुआ।

9. प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सुसंगत विधि व्यवस्था व संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जाना समीचीन है–

धारा–5 परिसीमा अधिनियम–विशिष्ट परिस्थितियों में निर्धारित परिसीमा अवधि को बढ़ाने का प्रावधान करती है, जिससे न्यायालय विलम्ब को क्षमा कर सकता है, किन्तु इसके लिए विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण होने के पश्चात ही विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रावधान है।

धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब मर्षण के संबंध में निम्न विधि व्यवस्था सुसंगत है– **ओ०पी० कठारिया बनाम लखमी सिंह 1984 सु०को० केसेज पेज 66 एवं कलेक्टर भूमि अर्जन अनन्त नाग बनाम श्रीमती कटीजी 1987 एस०सी०सी० पेज 107** को उद्‌दृत करना सुसंगत होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''पर्याप्त हेतुक या कारण क्या होगा, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। इस विवेकशील तथ्य को कड़े नियम के रूप में परिवर्तित करना उचित नहीं होगा। यह आवश्यक है कि प्रत्येक हेतुक का उदारतापूर्वक निवर्चन किया जाना चाहिए, जब तक सद्‌भाव या अभाव जैसी निष्क्रियता या उपेक्षा न हो, जो पक्षकारों को धारा 5 के संरक्षण से वंचित करे, तब तक विलंब की माफी दी जानी चाहिए। यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलंब को स्पष्टीकरण के मामले में अति तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाकर व्यवहारिक दृष्टिकोण न्यायालय को अपनाना चाहिए।''

10. माननीय उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवस्था **N. Balakrishnan vs M. Krishnamurthy (1998)7 Supreme Court Cases 123 में यह अभिमत दिया है कि** It is axiomatic that condonation of delay is a matter of discretion of the court Section 5 of the Limitation Act does not say that such discretion can be exercised only if the delay is within a certain limit. Length of delay is no matter, acceptability of the explanation is the only criterion. Sometimes delay of the shortest range may be uncondonable due to want of acceptable explanation whereas in certain other cases delay of very long range can be condoned as the explanation thereof is satisfactory.

11. उक्त विधि व्यवस्था में यह भी अभिमत दिया गया है कि Rule of limitation are not meant to destroy the right of parties. They are meant to see that parties do not resort to dilatory tactics, but seek their remedy promptly. The object of providing a legal remedy is to repair the damage caused by reason of legal injury. Law of limitation fixes a life-span for such legal remedy for the redress of the legal injury so suffered.

12. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विधि व्यवस्था **हरवीर सिंह बनाम अपर जिला जज लखनऊ एवं अन्य 2010 (1) (इलाहाबाद लॉ जनरल 305)** में यह अभिमत दिया है कि An irresponsible and lethargic litigant is not entitled for the benefit of Section 5 of the Limitation Act when the court finds that he has deliberately avoided to attend the court The litigants should not take the case for granted. They should also be alert and they must understand that leniency of the court can be availed to a certain extent but not to the extent of misusing the court process.

13. **शिवम्मा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड,12 सितम्बर 2025** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने प्रस्तर 258 एवं प्रस्तर 263 में अवधारित किया कि–

258. The length of the delay is a relevant matter which the court must take into consideration while considering whether the delay should be condoned or not. From the tenor of the approach of the respondents, it

appears that they want to fix their own period of limitation for instituting the proceedings for which law has prescribed a period of limitation. Once it is held that a party has lost his right to have the matter considered on merits because of his own inaction for a long, it cannot be presumed to be non-deliberate delay and in such circumstances of the case, it cannot be heard to plead that the substantial justice deserves to be preferred as against the technical considerations. While considering the plea for condonation of delay, the court must not start with the merits of the main matter. The court owes a duty to first ascertain the bona fides of the explanation offered by the party seeking condonation. It is only if the sufficient cause assigned by the litigant and the opposition of the other side is equally balanced that the court may bring into aid the merits of the matter for the purpose of condoning the delay.

263. Limitation periods are prescribed to maintain a sweeping scope for the lis to attain for finality. More than the importance of judicial time, what worries us is the plight of a litigant with limited means, who is to contest against an enormous State, and its elaborate and never-exhausting paraphernalia. Such litigations deserve to be disposed of at the very threshold, because, say if a party litigating against the State, for whatever reason, is unable to contest the condonation of delay in appeal, unlike the present case, it reopens the lis for another round of litigation, and leaves such litigant listless yet again. As courts of conscience, it is our obligation that we assure that a litigant is not sent from pillar to post to seek justice.

14. फौजदारी प्रकरण की सम्बन्धित पत्रावली, आदेश से पूर्व अवलोकन हेतु तलब की गयी, जिसके अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि उक्त पत्रावली में आरोप विरचित हो चुका है। साक्ष्य प्रारम्भ हो चुका है। प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में निगरानीकर्ता का तर्क है कि उसे प्रश्नगत आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि लाइसेंसी बंदूक के अवमुक्त होने के सम्बन्ध में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 20.12.2024 को मंगला प्रसाद दूबे द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता को धमकाने की नियत से प्रार्थी/निगरानीकर्ता के घर के आस पास बंदूक का अवैध प्रदर्शन किया गया। जब दिनांक 23.12.2024 को अधिवक्ता के माध्यम से मुआयना करने के बाद प्रार्थी/निगरानीकर्ता को जानकारी हुई, तब दिनांक 18.01.2025 को प्रश्नगत निगरानी प्रस्तुत की गयी। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यदि विपक्षी ने दिनांक 20.12.2024 को निगरानीकर्ता के घर के आस पास अवमुक्त बंदूक का प्रदर्शन किया तो वह 3 दिन बाद अपने अधिवक्ता के पास गया, अविलम्ब क्यूं नहीं गया, यह स्पष्ट नहीं किया है और दिनांक 23.12.2024 को आक्षेपित आदेश की जानकारी हो गयी तो दिनांक 24.12.2024 या 01.01.2025 (25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश को छोड़कार) को प्रश्नगत निगरानी क्यूं दायर नहीं की। आदेश की जानकारी से निगरानी दाखिल करने तक के विलम्ब के सम्बन्ध में भी कोई संतोषजनक व समुचित कारण प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा नहीं दर्शाया गया है। मूल पत्रावली में विपक्षी मंगला प्रसाद दूबे के द्वारा प्रस्तुत कई प्रार्थना पत्र लाइसेंस व लाइसेंसी बंदूक की निर्मुक्ति हेतु संलग्न होना भी स्पष्ट है। आक्षेपित आदेश दिनांक 27.01.2021 को पारित किया गया, जबकि प्रश्नगत निगरानी दिनांक 18.01.2025 को प्रस्तुत की गयी। ऐसे में फौजदारी निगरानी 3 वर्ष, 11 माह 22 दिन बाद योजित की

गयी है। ऐसे में प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा जो आधार प्रार्थना पत्र 5ख में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के लिए उठाये गये हैं, वह विलम्ब को क्षमा करने के लिए संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1524